

झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची
सिविल रिट याचिका सं० - 4370/2022

मेसर्स नेजोन ट्रॉबस लिमिटेड, निगमित कंपनी अधिनियम, 1956 प्रतिनिधि महाप्रबंधक
श्री मधु कांत सरावगीयाचिकाकर्ता

-बनाम-

1. यूनियन ऑफ इंडिया, प्रतिनिधि प्रधान आयुक्त, सेंट्रल गुड्स & सर्विसेज टैक्स & सेंट्रल एक्साइज, रांची, कार्यालय - केंद्रीय राजस्व भवन, 5 ए, मेन रोड, डाकघर - जीपीओ, थाना -चुटिया, जिला - रांची।
2. संयुक्त आयुक्त (अपील) सेंट्रल गुड्स & सर्विसेज टैक्स & सेंट्रल एक्साइज, रांची, कार्यालय - द्वितीय और तृतीय तल, ग्रैंड एमराल्ड बिल्डिंग, रोड नंबर 1 और 2 के बीच, अशोक नगर, डाकघर+थाना - अरगोड़ा, जिला-रांची।
3. सहायक आयुक्त,) सेंट्रल गुड्स & सर्विसेज टैक्स & सेंट्रल एक्साइज, जमशेदपुर (मुख्यालय), कार्यालय आउटर सर्कल, बिष्टुपुर, डाकघर+थाना - बिष्टुपुर, जमशेदपुर

..... प्रतिवादी

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री रांगोन मुखोपाध्याय
माननीय न्यायमूर्ति श्री दीपक रोशन

याचिकाकर्ता के लिए: श्री एन.के. पसारी, अधिवक्ता
सुश्री सीधी जालान, अधिवक्ता
प्रतिवादी के लिए - सी.जी.एस.टी: श्री अमित कुमार, अधिवक्ता

सी.ए.वी.- 28.08.2023

घोषित - 11.12.2023

निर्णय/जजमेंट

न्यायमूर्ति दीपक रोशन द्वारा: पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।

2. याचिकाकर्ता द्वारा निम्नलिखित राहत के लिए तत्काल रिट याचिका प्रस्तुत की गई है:

- I. उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करने के लिए, प्रतिवादियों को यह बताने के लिए निर्देशित किया जाता है कि वाहन के आवागमन के मूल राज्य से वास्तविक ई-वे बिल कब उपलब्ध था, लेकिन केवल इस तथ्य के कारण कि ई-वे बिल वास्तविक कारणों से समाप्त हो गया था, यदि बिल्कुल भी, करों से बचने या अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के किसी भी इरादे की अनुपस्थिति में अधिनियम, 2017 की धारा 129 को आकर्षित करेगा।
 - II. दिनांक 08.11.2021 (अनुलग्नक-4) को रद्द करने और अलग रखने के लिए एक उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करने के लिए, एलडी सहायक आयुक्त सीजीएसटी और सीएक्स, जमशेदपुर (मुख्यालय) द्वारा पारित आदेश, जिसके तहत 5,18,660.00/- रुपये का कर और जुर्माना इस आधार पर लगाया गया है कि ई-वे बिल ने अपनी वैधता खो दी है, बिना किसी कर चोरी के पाए जाने के, जो अन्यथा कानून में गलत है।
 - III. दिनांक 26.05.2022 (अनुलग्नक-8) के आदेश को रद्द करने और अलग रखने के लिए एक उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करने के लिए, जिसमें एल.डी. संयुक्त आयुक्त (अपील) सीजीएसटी और सीएक्स, रांची, एल.डी. सहायक आयुक्त सीजीएसटी और सीएक्स, जमशेदपुर (मुख्यालय) द्वारा पारित दिनांक 08.11.2021 (अनुलग्नक-4) के आदेश को बरकरार रखते हुए याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज करने की कृपा की थी।
 - IV. परिणामस्वरूप, प्रतिवादी प्राधिकारियों को एक उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करें, जिसमें प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा लगाए गए कर और जुर्माने की मांग के बदले में याचिकाकर्ता द्वारा भुगतान की गई राशि को केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार लागू ब्याज के साथ वापस करने का निर्देश दिया जाए, जिसे केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के तहत निर्धारित नियमों के साथ पढ़ा जाए।
3. इस मामले के संक्षिप्त तथ्य, जैसा कि इस आवेदन में बताया गया है, यह है कि याचिकाकर्ता कंपनी इलेक्ट्रिक वेल्डेड स्टील ट्यूब के निर्माण और आपूर्ति के व्यवसाय में लगी हुई है। मेसर्स भालोटिया ऑटो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, पूर्व सिंहभूम ने कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्थित याचिकाकर्ता को पूर्व सिंहभूम में अपने व्यावसायिक परिसर में 20.010 मीट्रिक टन एमएसपीबी आरएचएस/एसएचएस की आपूर्ति के लिए ऑर्डर दिया। याचिकाकर्ता ने ऑर्डर के विरुद्ध चालान संख्या टीसीजीएफ/02193/22 जारी किया और ट्रक संख्या

जेएच 05एजी 2092 में ई-वे बिल संख्या 8111 8796 5282 सहित उचित दस्तावेजों के साथ पश्चिम बंगाल से जमशेदपुर के लिए इसे भेज दिया।

जब माल पारगमन में था, तो ट्रक को निरीक्षक, एंटी-इवेजन, सीजीएसटी और सीएक्स, जमशेदपुर द्वारा सत्यापन/निरीक्षण के लिए 06.11.2021 को सुबह 08:30 बजे रोका गया, जिस पर यह पाया गया कि ई-वे बिल पिछली तारीख यानी 05.11.2021 को 12.00 बजे समाप्त हो गया था और ट्रक चालक का बयान फॉर्म जीएसटी एमओवी-01 में दर्ज किया गया था और बाद में माल के साथ वाहन को जीएसटी भवन, आउटर सर्कल रोड, बिष्टुपुर, जमशेदपुर में दिनांक 06.11.2021 को फॉर्म जीएसटी एमओवी-02 जारी करके खड़ा करने का निर्देश दिया गया था। इसके अनुसरण में, भौतिक सत्यापन किया गया और फॉर्म जीएसटी एमओवी-04 में एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें चालान में उल्लिखित माल और मात्रा के विवरण में कोई विसंगति नहीं पाई गई।

इसके बाद, ट्रक चालक के नाम पर फॉर्म जीएसटी एमओवी-06 में हिरासत का आदेश और फॉर्म जीएसटी एमओवी-07 में कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया और 08.11.2021 को शाम 04:30 बजे व्यक्तिगत सुनवाई तय की गई। आश्चर्यजनक रूप से, उसी दिन, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के निर्वहन में परिकल्पित सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किए बिना, अधिनियम की धारा 129(3) के तहत कर और जुर्माना की मांग का आदेश पारित किया गया है और प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा फॉर्म जीएसटी एमओवी-09 केवल इस आधार पर जारी किया गया है कि ई-वे बिल की वैधता समाप्त हो गई थी।

ट्रक को छोड़ने के अलावा कोई विकल्प न होने पर याचिकाकर्ता कंपनी ने प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा उठाई गई पूरी मांग जमा कर दी और माल और वाहन को छोड़ने के लिए फॉर्म जीएसटी डीआरसी-03 के माध्यम से पुष्टि की, जिसकी सूचना याचिकाकर्ता के दिनांक 09.11.2021 के पत्र के माध्यम से विभाग को दी गई, जिसमें याचिकाकर्ता ने अपनी आपत्तियां भी बताई थीं। सत्यापन के बाद, वाहन को छोड़ने के लिए फॉर्म जीएसटी एमओवी-05 में एक रिलीज ऑर्डर जारी किया गया।

इसके बाद याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा पारित दिनांक 08.11.2021 के आदेश को चुनौती देते हुए अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष एक ऑफलाइन अपील दायर की, जिसे अपील संख्या 117/सीजीएसटी/जेएसआर/2022 के रूप में पंजीकृत किया गया। मामले को 06.05.2022 को वर्चुअल मोड के माध्यम से व्यक्तिगत सुनवाई के लिए निर्धारित किया गया था, जिस पर याचिकाकर्ता के वकील उपस्थित हुए और देरी के कारणों को बताया, अर्थात् दिवाली के त्योहार के कारण आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में प्रवेश पर प्रतिबंध के कारण देरी हुई, जिसके कारण ईवे बिल की अवधि समाप्त हो गई। इसके अनुसरण में; अंतिम आदेश 26.05.2022 को पारित किया गया, जिसका नाम आदेश संख्या सीजीएसटी (ए)-93/जेएसआर/2021-22/1061-1066 था, जिसमें अपीलीय प्राधिकरण ने याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि त्योहारी सीजन के कारण देरी का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है और इसलिए इसे ई-वे बिल की समाप्ति के लिए स्पष्टीकरण के रूप में नहीं माना जा सकता है और इस तरह याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील में कोई योग्यता नहीं है और प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री एन.के.पासारी ने कहा कि परिवहन के दौरान ई-वे बिल की कुछ घंटों की अवधि समाप्त हो जाने से सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अधिनियम की धारा 129 और सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नियम, 2017 के नियम 138 लागू नहीं होंगे। उन्होंने आगे कहा कि केंद्रीय टैक्स अधिकारी अधिनियम की धारा 129 के तहत एकीकृत गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अधिनियम की धारा 20 और धारा 129 के मद्देनजर अंतर-राज्यीय लेनदेन के संबंध में शक्तियों का आह्वान करते हुए आदेश शुरू नहीं कर सकते थे और पारित नहीं कर सकते थे।

यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि केवल केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के तहत उचित अधिकारी को ही अधिकार क्षेत्र का उपयोग करना चाहिए। प्रतिवादियों को केवल इसलिए कर और देयता लगाना उचित नहीं था क्योंकि ई-वे बिल पारगमन के दौरान अपनी वैधता खो चुका था। बेशक, करों से बचने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि ई-वे बिल सहित

अधिनियम के तहत निर्धारित सभी अन्य दस्तावेज वास्तविक थे, और केवल उनकी वैधता समाप्त होने के कारण उल्लंघन के दायरे में नहीं आते।

5. सीजीएसटी के विद्वान वकील श्री अमित कुमार ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को केंद्रीय माल और सेवा कर, 2017 की धारा 129(3) और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश माल और सेवा कर, 2017 के तहत नोटिस के पैरा 8 में उल्लिखित जीएसटी एमओवी-7 दिनांक 08.11.2021 के माध्यम से व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया गया था। एकीकृत माल और सेवा कर, 2017 की धारा 70 के तहत। इसलिए, याचिकाकर्ता का तर्क उचित नहीं है। इस संबंध में, श्री समीर चक्रवर्ती को याचिकाकर्ता द्वारा जब्त वाहन के संबंध में दस्तावेजों पर उपस्थित होने और हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया गया था। याचिकाकर्ता के स्वयं के अनुरोध पर जिन्होंने जब्त वाहन की शीघ्र/तत्काल रिहाई के लिए प्रार्थना की, और कहा कि वे इस मुद्दे पर कुछ भी प्रस्तुत नहीं करना चाहते थे। तदनुसार, कानून के अनुसार उचित प्राधिकारी द्वारा जीएसटी एमओवी-09 जारी किया गया था।

विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता का तर्क उचित नहीं है क्योंकि आदेश संख्या 04/2021-22 दिनांक 08.11.2021 को सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 129 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देकर जारी किया गया था। जैसा कि पूर्वोक्त है, याचिकाकर्ता ने श्री समीर चक्रवर्ती को हिरासत में लिए गए वाहन संख्या JH05AG 2092 के मामले में जीएसटी अधिकारियों के समक्ष मेसर्स नेजोन ट्यूब लिमिटेड की ओर से दस्तावेजों पर उपस्थित होने और हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया था, जिसमें उक्त वाहन पर लड़े कुल 20.010 मीट्रिक टन (एचएसएन 73066100) का माल भी शामिल था। याचिकाकर्ता के अधिकृत व्यक्ति श्री चक्रवर्ती उचित प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित हुए और रोके गए वाहन के साथ उनके माल की शीघ्र रिहाई का अनुरोध किया। न तो याचिकाकर्ता और न ही उनके अधिकृत प्रतिनिधि ने मौखिक या लिखित रूप से वाहन और माल की हिरासत/जब्ती के खिलाफ कुछ भी प्रस्तुत किया और न ही वे ई-वे बिल की अवधि समाप्त होने के लिए कोई उचित आधार दे सके। वाहन की रिहाई तक, श्री समीर चक्रवर्ती कार्यालय में उपलब्ध थे और वे याचिकाकर्ता के संपर्क में थे। कर देयता और

दंड के भुगतान के लिए मौखिक अनुरोध और आश्वासन पर, सहायक आयुक्त, सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मुख्यालय, जमशेदपुर द्वारा आदेश संख्या 04/2021-22 दिनांक 08.11.2021 (जीएसटी एमओवी - 09) जारी किया गया था। आदेश संख्या 04/2021-22 दिनांक 08.11.2021 के पैरा संख्या 7 में विशेष रूप से कहा गया है कि उद्धृत करने के लिए:

"(i) माल के मालिक/वाहन के प्रभारी व्यक्ति ने आगे आकर प्रस्तावित कर और जुर्माने का भुगतान कर दिया है। इसके मद्देनजर, प्रस्तावित लागू कर दंड की पुष्टि की जाती है।

(ii) माल के मालिक/वाहन के प्रभारी व्यक्ति ने न तो प्रस्तावित कर और जुर्माने का भुगतान किया है और न ही उन्होंने फॉर्म जीएसटी एमओवी 07 में जारी नोटिस पर कोई आपत्ति दर्ज की है और इसलिए, प्रस्तावित कर और जुर्माने की पुष्टि की जाती है।"

इसके बाद याचिकाकर्ता ने सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 129(3) के तहत निर्धारित दंड सहित कर देयता डीआरसी-03 दिनांक 09.11.2021 के माध्यम से जमा कर दी। इसलिए याचिकाकर्ता को प्राकृतिक न्याय न देने का आधार उचित और कानूनी नहीं है।

6. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने तथा संबंधित हलफनामों में दिए गए कथनों और उसमें संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन करने के पश्चात, ऐसा प्रतीत होता है कि दिनांक 06.11.2021 को प्रातः 08:30 बजे माल सहित एक ट्रक को निरीक्षक, एंटी-इवेजन, सीजीएसटी एवं सीएक्स, जमशेदपुर द्वारा सत्यापन/निरीक्षण हेतु रोका गया, जिस पर पाया गया कि इं-वे बिल की वैधता पिछली तिथि अर्थात दिनांक 05.11.2021 को प्रातः 12.00 बजे समाप्त हो गई थी तथा ट्रक चालक का बयान फॉर्म जीएसटी एमओवी-01 में दर्ज किया गया तथा तत्पश्चात माल सहित वाहन को वहां पर खड़ा करने का निर्देश दिया गया। इसके अनुसरण में, भौतिक सत्यापन किया गया तथा फॉर्म जीएसटी एमओवी-04 में रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें चालान में उल्लिखित माल के विवरण और मात्रा में कोई विसंगति नहीं पाई गई। इसके बाद ट्रक चालक के नाम पर फॉर्म जीएसटी एमओवी-06 में हिरासत का आदेश और फॉर्म जीएसटी एमओवी-07 में कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया और व्यक्तिगत सुनवाई 08.11.2021 को शाम 04:30 बजे तय की गई और

अधिनियम की धारा 129(3) के तहत कर और जुर्माना की मांग का आदेश पारित किया गया और प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा फॉर्म जीएसटी एमओवी-09 केवल इस आधार पर जारी किया गया कि ई-वे बिल की वैधता समाप्त हो गई थी।

7. इस प्रकार, एकमात्र मुद्रा जिस पर विचार करने की आवश्यकता है, वह यह है कि "क्या परिवहन के दौरान ई-वे बिल की समाप्ति मात्र से अधिनियम और 2017 के नियम 138 के साथ धारा 129 के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है, और यदि ऐसा है, तो क्या इसके लिए जुर्माना लगाया जा सकता है?"

हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस मुद्रे पर निर्णय दिया, जिसकी रिपोर्ट 2022 VIL 340 ए.एल.एच. में दी गई। उच्च न्यायालय ने तथ्य और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जिसमें ई-वे बिल की समय-सीमा समाप्त हो गई, यह माना कि "न तो कर के भुगतान से बचने का कोई इरादा था, न ही कोई धोखाधड़ी और न ही अधिनियम का कोई उल्लंघन, क्योंकि अधिनियम के तहत आवश्यक वैध दस्तावेज माल के साथ थे"।

राजस्व विभाग द्वारा उक्त आदेश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य की अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि "इस न्यायालय का मत है कि उच्च न्यायालय के निर्णय में कोई कमी नहीं है, जिसे सही रूप से समझा जा सकता है" (संदर्भ: 2023 VIL 62 SC,)।

8. वास्तव में, इस मामले में शामिल मुद्रे पर कलकता उच्च न्यायालय 2023 VIL 370 CAL द्वारा भी विचार किया गया था और न्यायालय ने निम्नानुसार माना था:

"12. यह मुद्रा कि क्या प्राधिकरण द्वारा इस आधार पर कर और जुर्माना लगाना उचित था कि अवरोधन के समय, वे बिल की वैध अवधि समाप्त हो गई थी और हनुमान गंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम संयुक्त आयुक्त, राज्य कर प्राधिकरण, सिलीगुड़ी सर्कल और अन्य के मामले में इस न्यायालय की समन्वय पीठ के समक्ष विचार के लिए आया था, जिसकी रिपोर्ट 2022 में की गई थी (50 Tax.com.023) - 2022-VIL-484-CAL इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने माना कि छूकि यह रिट याचिका की ओर से कर के भुगतान से बचने के लिए जानबूझकर किए

गए प्रयास का मामला नहीं है, इसलिए अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश और जुर्माना सभी को अलग रखा गया और रद्द कर दिया गया।

13. वर्तमान मामले में भी ई-वे बिल 2 मई, 2022 तक वैध था और याचिकाकर्ता का वाहन ई-वे बिल की समाप्ति से पहले 2 मई, 2022 को सिलिंगड़ी पहुंच गया था, लेकिन 3 मई, 2022 को राष्ट्रीय अवकाश होने के कारण सुबह 3:20 बजे वाहन को बकुआबारी में रोक लिया गया, जो गंतव्य से लगभग 16/17 किलोमीटर दूर है। याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई अन्य आरोप नहीं है।

14. मामले के विशिष्ट तथ्यों पर विचार करते हुए, यह न्यायालय पाता है कि याचिकाकर्ता की ओर से यह कहने में कोई कमी नहीं है कि माल परिवहन करते समय याचिकाकर्ता द्वारा जानबूझकर कदाचार किया गया था।

15. मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए अपीलीय प्राधिकरण का 31 जनवरी, 2023 का आदेश और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा 12 मई, 2022 को पारित आदेश को रद्द किया जाता है।

16. याचिकाकर्ता ने जुर्माना अदा कर दिया है, वह धन वापसी के लिए आवेदन करने का हकदार है, जिस पर उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा आवेदन किए जाने की तिथि से 15 दिनों की अवधि के भीतर विचार किया जाएगा और यदि कोई अन्य कानूनी बाधा नहीं है तो धन वापसी की जाएगी।

9. माना कि इस मामले में राजस्व विभाग ने इस तथ्य पर विचार नहीं किया है कि त्योहारी सीजन (दीपावली) के कारण आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति न दिए जाने के कारण वाहन (ट्रक) को कुछ समय के लिए रुकना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप ई-वे बिल की वैधता समाप्त हो गई। यह भी स्वीकार किया गया है कि ट्रक औद्योगिक क्षेत्र के 1 किलोमीटर के भीतर था, ज्यादा दूर नहीं, इसलिए यह स्पष्ट है कि उपरोक्त कारण से ई-वे बिल की वैधता समाप्त होना कर चोरी के इरादे से नहीं माना जा सकता है और इसलिए, किसी भी प्रकार का जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

इसी तरह के तथ्यों और परिस्थितियों में इस न्यायालय ने रिविगो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बनाम झारखंड राज्य और अन्य (रिट याचिका.(टी) संख्या 4654/2019) के मामले में दिनांक 13.06.2022 के आदेश

के तहत राजस्व द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया था और मामले को नए सिरे से विचार के लिए अधिकारियों को वापस भेज दिया था। निर्णय का प्रासंगिक हिस्सा तत्काल संदर्भ के लिए नीचे उद्धृत किया गया है;

“12. यह सच है कि न तो राज्य कर अधिकारी और न ही अपीलीय प्राधिकरण ने वाहन की जीपीएस ट्रैकिंग रिपोर्ट के आधार पर याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई दलील की जांच की है। जीएसटी एमओवी 07 के तहत कारण बताओ नोटिस के जवाब में कर अधिकारी के समक्ष याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण और बचाव पर विचार किए बिना ही आरोपित आदेश पारित किए गए हैं। राज्य कर अधिकारी ने केवल इस दलील पर विचार किया है कि चालक अनपढ़/अर्ध-साक्षर था और उसे ई-वे बिल की समाप्ति के परिणामों का एहसास नहीं था। आरोपित आदेश में वाहन की जीपीएस ट्रैकिंग रिपोर्ट के आधार पर याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई दलील पर उचित विचार नहीं किया गया है। इसलिए आरोपित आदेश बिना उचित विचार किए और याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए तर्क पर विचार किए बिना पारित किए गए हैं। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। प्रतिवादी द्वारा चालान के साथ माल की मात्रा में विसंगति के बारे में जवाबी हलफनामे के पैरा-11 में दिए गए बयान विभाग द्वारा फॉर्म जीएसटी एमओवी04 (अनुलग्नक-7) में जारी भौतिक सत्यापन रिपोर्ट से पुष्ट नहीं होते हैं। आरोपित कार्रवाई में याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए तर्क पर उचित विचार किए बिना और उचित दिमाग लगाए बिना जुर्माना लगाया गया है। इस प्रकार, राज्य कर अधिकारी (अनुलग्नक 10) द्वारा 12 जुलाई, 2018 को पारित आदेश और 26 जुलाई, 2018 (अनुलग्नक-14) के अपीलीय आदेश दोनों को अलग रखा जाता है। मामले को राज्य कर अधिकारी को वापस भेजा जाता है ताकि वह याचिकाकर्ता द्वारा अपने उत्तर में उठाई गई दलीलों और 30 मार्च, 2018 की अधिसूचना द्वारा 7 मार्च, 2018 से लागू किए गए जेजीएसटी नियम, 2017 के संशोधित नियम 138(3) पर आधारित दलीलों पर विचार कर सके। याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत बैंक गारंटी यदि भुनाई नहीं गई है, तो उपरोक्त परिस्थितियों में याचिकाकर्ता को वापस कर दी जाए।

10. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, दिनांक 08.11.2021 (अनुलग्नक-4) के साथ-साथ दिनांक 26.05.2022 (अनुलग्नक-8) के आदेश को रद्द किया जाता है और अलग रखा जाता है, क्योंकि न तो कर के

भुगतान से बचने का कोई इरादा है और न ही कोई धोखाधड़ी की गई है और अधिनियम के तहत आवश्यक वैध दस्तावेज माल के साथ थे; इन्हें बिल को छोड़कर, जिसकी कुछ घंटों की अवधि समाप्त हो गई थी और यह न्यायालय इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकता है कि वाहन को चेक-पोस्ट के बहुत करीब रोका गया था और जैसा कि याचिकाकर्ता ने कहा और राजस्व द्वारा इसका खंडन नहीं किया गया कि यह दिवाली का त्यौहारी सीजन था।

तदनुसार, याचिकाकर्ता ने पहले ही जुर्माना अदा कर दिया है; न्याय के हित में याचिकाकर्ता को धन वापसी का दावा करने की अनुमति देना पर्याप्त होगा और यदि धन वापसी के लिए ऐसा कोई आवेदन किया जाता है, तो सक्षम प्राधिकारी उस पर आवेदन किए जाने की तिथि से 8 सप्ताह की अवधि के भीतर विचार करेगा और यदि कोई अन्य कानूनी बाधा नहीं है, तो धन वापसी की जाएगी।

11. परिणामस्वरूप, तत्काल रिट आवेदन स्वीकार किया जाता है। लंबित आई.ए., यदि कोई हो, का भी निपटारा किया जाता है।

(न्यायमूर्ति रोंगोन मुखोपाध्याय)

(न्यायमूर्ति दीपक रोशन)

झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची

दिनांक 11 दिसंबर, 2023

अमरदीप/एफआर

यह अनुवाद सुश्री लीना मुखर्जी, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।